न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 09/2010

1 बीरबल पुत्र मुखाराम।
2 सरस्वती पत्नी शिवचन्द।
3 मूलचन्द पुत्र शिवचन्द।
4 सुशीला पुत्री शिवचन्द।
5 मोहनी पुत्री शिवचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण जाखड़ो का बास तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हरब्बा पत्नी खमानाराम।
2 बिरजू पुत्र खमानाराम।
3 गोपाल पुत्र तारूराम।
3/1 मालूराम पुत्र गोपाल।
3/1/1 रामरतन पुत्र मालूराम।
3/2 देवकरण पुत्र गोपाल।
3/3 निवास पुत्र गोपाल।
3/4 भागोती पत्नी गोरधन।
3/5 परवीन पुत्र गोरधन समस्त जाति जाट निवासीगण जाखड़ो का बास तहसील व जिला झुंझुनू।
3/6 पूनम पुत्री गोरधन पत्नी विनोद जाति जाट निवासी भड़ौन्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनू।
4 सुण्डाराम पुत्र तारूराम दौराने अपील मृत्यु।
4/1 सज्जन पुत्र सुण्डाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4/2 रणवीर पुत्र सुण्डाराम समस्त जाति जाट निवासीगण जाखड़ो की बास तहसील व जिला झुंझुनू।
4/3 सुमित्रा पत्नी मंगेजाराम पुत्री सुण्डाराम जाति जाट निवासी पातुसरी तहसील व जिला झुंझुनू।
4/4 संतरा देवी पत्नी सुभाष।
4/5 मुकेश पुत्र सुभाष।
4/6 लोकेश पुत्र सुभाष समस्त जाति जाट निवासीगण जाखड़ो का बास तहसील व जिला झुंझुनू।
4/7 स्नेहालता पत्नी मनोज पुत्री सुभाष जाति जाट निवासी तोगड़ा खुर्द तहसील व जिला झुंझुनू।
5 गुगनराम पुत्र जगुराम।
6 संतकुमार पुत्र जगुराम।
7 ओमप्रकाश पुत्र जगुराम।
8 मु. धापा पत्नी जगुराम।
8/1 रघुवीर पुत्र जगुराम।
9 गिरधारी पुत्री भूराराम।
10 हाथीराम पुत्र भूराराम।
11 सुल्तान सिंह पुत्र भूराराम।
11/1 सन्तोष पत्नी सुलतान।
11/2 योगेश पुत्र सुलतान समस्त जाति जाट निवासीगण जाखड़ो का बास तहसील व जिला झुंझुनू।
11/3 सम्पति पुत्री सुलतान पत्नी ईश्वर।
11/4 माया पुत्री सुलतान पत्नी मनोज समस्त जाति जाट निवासीगण मालीगांव तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
12 हरिसिंह पुत्र भूराराम।
13 रामकुमार पुत्र मुखाराम समस्त जाति जाट निवासीगण जाखड़ो का बास तहसील व जिला झुंझुनू।
14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी खमानाराम वगैरह बनाम गुगनराम वगैरह दावा बाबत घोषणा व बंटवारा मुकदमा नम्बर 75/1995 तारिख निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.1999

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगदीशचन्द्र काजला , अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—24.03.2022—

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 75/1995 में पारित निर्णय दिनांक 29.05.1999 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 के पति व रेस्पोडेंट नम्बर 2 के पिता खमानाराम व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 ने रेस्पोडेंट संख्या 5 से 14 के विरूद्व अदालत मातहत मे एक दावा उनवानी खमानाराम वगैरह बनाम गुगनराम वगैरह आराजी गत खसरा नम्बर 1/1 से 1/4 कुल तादादी 29 बीघा 13 बिस्वा सरहद मौजा दोरासर तहत तहसील झुंझुनू के बाबत किया। उक्त दावा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 29.05.1999 को राजीनामा के आधार पर निर्णित कर डिक्री किया। इससे व्यथित होकर यह अपील अपीलांट की ओर से धारा—5 एवं धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दावे की वाद विषय वस्तु में अपीलांट संख्या 1 व स्वः शिवचन्द का उतराधिकार के आधार पर हक हिस्सा हुआ है। निर्णय व डिक्री जैर बहस से अपीलान्टस प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। निर्णय व डिक्री जैर बहस अपीलान्टस के हकुकी के विरूद्ध है क्योंकि जमीन जैर बहस के अपीलान्टस कोटिनेन्ट है और काबिज है। अपीलान्टस को अपील करने का हक है। रेस्पोडन्ट संख्या 3 से 13 व खमानाराम ने अदालत मातहत के समक्ष इस तथ्य को जानबुझकर छिपाया कि मुखाराम के शिवचन्द व अपीलान्ट संख्या 1 बीरबलराम ही पुत्र होने से वारिस है। उक्त तथ्य को राजीनामा में भी छिपाया गया है। अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड की भी जॉच नहीं की है। निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित होने से पूर्व नामानतकरण संख्या 381 मौजा दौरासर स्वीकृत हो चूका था। दावा व जबाब दावा में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि मुखाराम के रेस्पोडेन्ट संख्या 13 के अलावा अन्य कोई वारिसान न हो। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के बाद मुखाराम का देहान्त हुआ। मुखाराम के देहान्त होने के पश्चात तत्कालीन सहायक रिकार्ड ऑफिसर ने नामान्तकरण संख्या 381 मुखाराम के तीनो पुत्रों की जानकारी में स्वीकृत किया उक्त तथ्य को भी रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ने अदालत मातहत से छिपाया नामान्तकरण संख्या 381 ग्राम दौरासर दिनांक 27.09.1995 को रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ने कोई चुनौति भी नहीं दी है। प्रत्यक्ष रूप से अपीलान्टस जमीन गत खसरा नंबर 1/4 तादादी 8 बीघा 18 बिस्वा से ही प्रभावित है क्योंकि परसाराम के पुत्रों ने अपने जीवनकाल में मौखिक बंटवारा किया था और मौखिक बंटवारे में उक्त जमीन गत खसरा नंबर 1/4 मुखाराम के हिस्से में आई। अदालत मातहत ने उक्त गत खसरा नंबर 1/4 का टिनेन्ट अकेले रामकुमार को घोषित किया जो गलत है व जबकि अपीलांट नं. 1 व रेस्पोडेन्ट नंबर 13 प्रत्येक का 1/3 व अपीलांट संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा है व रहा है। निर्णय व डिक्री जैर बहस अपीलान्टस व शिवचन्द की अनुपस्थिति में पारित हुए है। जमीन जैर बहस में अपीलान्टस का हक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हिस्सा है। इस कारण निर्णय व डिक्री जैर बहस अवैध व शुन्य है। कानुन से अवैध व शुन्य निर्णय व डिक्री को चुनौती देने के लिए कोई मियाद नहीं है। निर्णय व डिक्री जैर बहस की अपीलान्टस व शिवचन्द को पहले कभी जानकारी नहीं हुई। अतः आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर डी 1992 पेज 17, आर आर टी 2011(1) पेज 602, आर बी जे 1996 पेज 11, आर आर डी 1994 पेज 77 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के सदर्भ में पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता होकर विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 13 रामकुमार को प्राप्त हुई है। अपीलांट ने मुखराम की समस्त अचल संपत्ति व कृषि भूमि के तथ्य को छिपाकर अपील प्रस्तुत की है जबकि मुखराम के वारिसान को पारिवारिक समझौते में अन्य भूमियां दी जा चुकी है। विचारण न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर लोक अदालत में विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विधि अनुसार राजीनामे की डिक्री के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना साबित नहीं कर पाया है। अपीलांट के यदि हक हकूक है तो पृथक से दावा कर प्राप्त कर सकते है। क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित निर्णय व डिक्री को ही कभी भी किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। विचाराधीन डिक्री राजस्व अभियान में ग्रामीणों की मौजुदगी में राजीनामें के आधार पर पारित की गई है। इस डिक्री का राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। राजस्व रिकार्ड ऑनलाइन है। अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील दस साल की देरी से प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब समुचित एवं संतोषप्रद कारण के अभाव में कंडोन किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर बी जे 2020(एससी) पेज 569, आर बी जे 2020 पेज 706, ए आई आर 2006(एससी) पेज 2628, ए आई आर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

2015(केएआर) पेज 190, डीएनजे 2011(1)(राज.) पेज 96 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट का कथन रहा है कि विवादित भूमि के सदर्भ में पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता होकर विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 13 रामकुमार को प्राप्त हुई है। अपीलांट ने मुखराम की समस्त अचल संपत्ति व कृषि भूमि के तथ्य को छिपाकर अपील प्रस्तुत की है जबकि मुखराम के वारिसान को पारिवारिक समझौते में अन्य भूमियां दी जा चुकी है। रेस्पोडेन्ट के कथन का कोई खण्डन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर लोक अदालत में विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विधि अनुसार राजीनामे की डिक्री के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना साबित नहीं कर पाया है। अपीलांट के यदि हक हकूक है तो पृथक से दावा कर प्राप्त कर सकते है। क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित निर्णय व डिक्री को ही कभी भी किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। विचाराधीन डिक्री राजस्व अभियान में ग्रामीणों की मौजुदगी में राजीनामें के आधार पर पारित की गई है। इस डिक्री का राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। राजस्व रिकार्ड ऑनलाइन है। अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील दस साल की देरी से प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब समुचित एवं संतोषप्रद कारण के अभाव में कंडोन किये जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट न तो प्रभावित पक्षकार होना साबित है, न ही मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट इसी बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर